RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-11
November -2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

भारत में पंचायती राज व्यवस्था - एक विशलेषण

[1]Dr. Hemant Kumar & [2]Mrs. Nishi Vashisth

[1,2]Department Of Political Science, Maa Omwati College, Hassanpur, Dist. Palwal, Haryana (India)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 10 November 2018

Keywords
पंचायती राज, शासन, स्व-सरकार

ABSTRACT

पंचायती राज संस्था भारत का मूल लोकतन्त्र है | पंचायती राज संस्थानों को बुनियादी सुविधाओं की सुविधा प्रदान करने, समाज को सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के निम्नस्तर पर विकास प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्थानीय स्व-सरकार माना जाता है | ग्रामीण भारत में लोकतंत्र का विस्तार करने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था भारत में स्थापित की गई थी | राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी ने " ग्राम स्वराज्य " का स्वप्न देखा था उनमे पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण भारत के शासन के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता है | " लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण " में पंचायती राज संस्थाओं की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है |पंचायतों की परिकल्पना अपने देश में कोई नवीन नहीं है अपितु यह प्राचीन काल से ही मानव समाज के ताने – बाने का अभिन्न अंग रही है | पंचायती राज संस्थाएं भारत के ग्रामीण विकास में जो सहयोग प्रदान कर रही है, यदि हम उसका आकलन करें तो वह किसी भी प्रकार से कम नहीं है | पंचायती राज संस्थाओं का महत्व इस तथ्य से स्वत; स्पष्ट हो जाता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप में एकरूपता लाने के,उनको सुसंगठित एवम् प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में संशोधन करके "पंचायती राज अधिनियम 1993"को 73वें संवैधानिक संशोधन के रूप में कर्यान्वित किया है | आज कल 26 लाख से अधिक सदस्य पंचायतों के तीनो स्तरों पर चुने जाते है | प्रस्तुत शोध-पत्र में पंचायतों के अधिकार, कार्य तथा शक्तियाँ कितनी स्वायत्त है,कितनी जनोन्मुखी तथा सामाजिक,आर्थिक बदलाव और सामाजिक न्याय के लक्ष्य भेद पाने में कितनी सक्षम रहि, इस सम्बन्ध में समस्याओं, समाधानों एवं महत्व आदि का विवेचन – विश्लेषण क्रमानुसार इस शोध –पत्र में प्रस्तुत किया गया है, साथ ही भारतीय लोकतन्त्र में पंचायती राज वयवस्था का क्या स्थान है?, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतन्त्र में कितनी प्रभावशाली है?, इसका विश्लेषण भी इस शोध-पत्र में किया गया है |

ऐतिहासिक पृष्टभूमि

भारत मुख्य रूप से गाँवो की भूमि है |भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 70%भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है | इस प्रकार भारत में ग्रामीण क्षेत्र से ही सत्ता का आधार तैयार होता है |महात्मा गाँधी भी यहि कहते थे कि "भारत वास्तव में गाँवो में बसता है"| भारत में हमारे पास ग्राम स्तर पर शासन के लिए एक अदभुत प्रणाली है जिसे पंचायती राज संस्था कहा जाता है |भारत में पंचायती वयवस्था कुछ दशकों पुरानी न होकर सदियों पुरानी है |प्राचीन काल से ही भारत में पंचायतों को असीमित स्वतंत्रता प्राप्त थी |ग्रामों की पंचायतें व संस्थाएं भारत में सर्वप्रथम प्रारम्भ हुईं और संसार के सभी देशों के मुकाबले यहाँ ही सबसे अधिक समय तक स्थापित रहीं |"पांच पंच"ग्राम की जनता द्वारा निर्वाचित होते थे,जिसके माध्यम से भारत के असंख्य ग्राम लोकराज्यों का शासन चलता था |भारतीय समाज में " पंच -परमेश्वर "न केवल कुछ प्रशासकीय कार्य ही करते थे वरन आपसी विवादों को हल करने व विकास सम्बन्धी कार्यों को करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे |पंचायत शब्द हिन्दी भाषा में बहुत समय से प्रयुक्त हो रहा है | संस्कृत में एक "पंचायतन" शब्द है जिसका व्यवहार देवपूजन के समय किया जाता है |प्रतीत होता है कि यह पंचायत इसी पंचायतन से सम्बन्ध रखता है |पंचायत एक सर्वमान्य संस्था के रूप में प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस में अधिष्ठत रही है| हमारी संस्कृति और सभ्यता की भांति ही पंचायत और पंचायती राज की अतीत काल से एक गौरव शाली परम्परा रही है |वैदिक काल में ग्राम से लेकर राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व की शासन व्यवस्था पंचायत पद्धति पर आधारित थी |भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रभाव ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में मिलते है |

पंचायत वयवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा पृथु को है | राजा पृथु वेन के पुत्र थे जो सर्वमान्य प्रथम राजा थे |ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पंचायत प्रणाली राजा पृथु ने

RRIJM 2015, All Rights Reserved

गंगा और यमुना के मध्य धरातल में स्थापित की थी |वैदिक काल से ही ग्राम को मोलिक इकाई माना जाता रहा है |जातक ग्रन्थ में भी ग्राम सभाओं का वर्णन मिलता है |उत्तर वैदिक काल में भी एक सामूहिक राजनीती इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का महत्व रहा है | लघु गण राज्यों के रूप में हिन्दू - मुस्लिम तथा पेशवा शासन काल में ग्राम पंचायतों का विशेष महत्व रहा है |अथर्ववेद (8,9,10, 12)के अनुसार "जन शक्ति उत्क्रामत होकर ग्राम सभा,राष्ट्र समिति,और मंत्री-मंडल में परिणित हुई |डा० सरयूप्रसाद चौबे ने कहा है "आर्यों के भारत में आने से पूर्व यहाँ ग्राम-राज्य तथा ग्राम-पंचायत का पूर्ण विकास हो गया था |पंचायती राज वयवस्था की उपस्थिति मुगल काल तथा ब्रिटिश काल में भी देखने को मिलती है |ब्रिटिश युग में सरकार किसी भी विकेन्द्रीकरण के पक्ष में नही थी इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद वे "भारत सरकार अधिनियम - 1858" के साथ आए तथा विकेंद्रीकरण को हटा दिया | 1870 में लार्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण की वकालत की,लेकिन इसे भी अस्वीकृत कर दिया गया | इसके बाद 1882 में ब्रिटिश शासन में तत्कालीन वायसराय लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया लेकिन वह सफल नही हो सका |ब्रिटिश शासको ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की स्थिति पर जाँच करने तथा उसके सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए 1907में शाही आयोग का गठन किया |इस आयोग ने स्वायत्त संस्थायों के विकास पर बल दिया,लेकिन विभिन्न कारणों से इसे स्वीकार नही किया गया | 1919के मोंटेगों चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत डायार्की की शुरुआत के साथ स्थानीय स्व -सरकारों की की जिम्मेदारी मंत्रियों को हस्तांतरित कर दी गयी थी |इन मंत्रियों ने पंचायती राज संस्थायों को पुनर्जीवित करने के लिए कानूनों का सैट बनाया | लेकिन धन की कमी दिखाकर इसके रास्ते में बाधा खडी कर दी गई | 1920के दशक के दौरान महात्मा गाँधी ने अपनी अर्थवयवस्था में सुधार के लिए गाँवो में स्वंय सरकार के लिए एक मजबूत मांग की | उन्होंने अपनी मांग में कहा कि "स्वतंत्रता नीचे से प्रारम्भ होनी चाहिए,प्रत्येक गाँव में एक पंचायत या गणतन्त्र होनी चाहिए जिसे पूर्ण शक्तियांप्राप्त हों | पंचायत के पास जितनी शक्तियां अधिक होंगी उतना ही नागरिकों के लिए बेहतर होगा"| हालाँकि ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नही दिया |अधिनियम 1919 के तहत जो स्थानीय स्व -सरकारों की जिम्मेदारी मंत्रियों कोसोंपी गई अधिनियम 1935केतहत उन सभी शक्तियों को वापस ले लिया गया |

1937 में जब कांग्रेस मंत्रालय का गठन हुआ था तो ग्राम पंचायतों की स्थापना और उनके पुनर्गठन की ओर ध्यान दिया गया था | परन्तु इससे पहले की वह इस दिशा में कुछ भी हांसिल कर पाते, ब्रिटश सरकार ने लोकप्रिय मंत्रालयों से परामर्श किये बगैर भारत को युद्ध के लिए पार्टी घोषित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा हुआ |इन घटनाओं ने पंचायतों के पुनरुत्थान के लिए किए गए आन्दोलन को गंभीर झटका लगा |दूसरे विश्वयुद्ध के तुरंत बाद केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाब आयोजित किए गए तथा कांग्रेस ने सत्ता में वापिसी की |एक बार फिर पंचायतों के पुनरुत्थान के मुददे पर ध्यान दिया |और कई अधिनियम पारित किए |जब भारत 1947 में स्वतन्त्र हुआ तो भारत के एक तिहाई गांवों में परम्परागत पंचायत थी |कांग्रेस सरकार ने पंचायतों के निर्माण को बढ़ावा देने के निश्चित प्रयास किये |भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 की घोषणा की ताकि उन्हें स्थानीय सरकार की प्रभावी इकाईयां प्राप्त हो सकें |पंचायती राज के कार्यान्वन का विषय राज्य सूची में रखा गया था |इसका उद्देश्य विकास प्रयास में ग्रामीणों को शामिल करने और राज्यों पर प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना था|ग्रामीण पुर्निर्माण के कार्य में लोगों की भागीदारी लिए 1 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था |परन्तु गांवों के निर्धन वउपेक्षित लोगों कीसहभागिता न होने के कारण असफल होगया |

आजाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था

आधुनिक भारत में प्रथमतया तत्कालीन प्रधानमन्त्री प० जवाहर लाल नेहरु ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया | भारतीय संविधान के अनुछेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है | 24 अप्रेल 1993 का दिन भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह था | क्योंकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम,1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ |इस प्रकार महात्मा गाँधी के स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया |भारतीय सवतंत्रता के पश्चात् विभिन्न समितियां थी जिन्होंने भारत में पंचायती राज को उचित संरचना देने के प्रयास किए | वह निम्नलिखितहै ----

(1) बलवन्त राय मेहता समिति (1957)
(2) अशोक मेहता समिति (1977)
(3) जी० वी० के० राव समिति(1985)
(4) डॉ० एल० ऍम० सिन्धवी समिति (1986)
(5) पी० के० थुंगन समिति (1988)

RRIJM 2015, All Rights Reserved

बलवन्त राय मेहता समिति

भारत में पंचायती राज प्रणाली की पुनःशुरुआत 1959 में "बलवन्त राय मेहता समिति" की रिपोर्ट के आधार पर हुई |इसका गठन सन् 1957 में N.D.C. (नेशनल डेवलेप कौन्सिल) ने बलवन्त रायमेहता की अध्यक्षता में " सामुदायिक परियोजनाओं एवम राष्ट्रीय विकास" सेवाओं का अध्यन करने के लिए किया गया | जिसे यह दायित्व सोंपा गया कि वह " पंचायती राज वयवस्था " को मजबूती प्रदान करने तथा उन कारणों अवलोकन करे जो "सामुदायिक विकास कार्यक्रम" की सरंचना तथा कार्य प्रणाली की सफलता में बाधक थीं| मेहता समिति ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | रिपोर्ट में कहा गया कि "लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरणऔर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज प्रणाली को अविलम्ब प्रारम्भ किया जाना चाहिए | भारत में पंचायत राज प्रणाली का पुन: प्रारम्भ 1959 में इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुई | समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की | इस त्रिस्तरीय प्रणाली में जिला स्तर पर जिला परिषद,खंड स्तर पर पंचायत समिति, तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान रखा गया |इस प्रणाली का प्रारम्भ सर्वप्रथम राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में हुआ |बाद में यह पूरे देश में लागू की गई |पंचायती राज प्रणाली लागू होने के कुछ समय उपरांत से ही यह अप्रभावी होने लगी | पंचायती राज व्यवस्था में आये अनेक अवरोधों को दूर करने के लिए में "अशोक मेहता समिति" का गठन हुआ |

अशोक मेहता समिति

इस समिति का गठन दिसम्बर, 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था | बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज प्रणाली में कई कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए "अशोक मेहता समिति" का गठन किया गया | अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनीं रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी | इस समिति ने सुझाव दिया की पंचायती राज संस्थान दो स्तरीय निकाय होगा,जो जिला स्तर और मण्डल स्तर पर संचालित होगा | नोडल क्षेत्र ब्लाक स्तर पर होगा तथा जिला परिषद,राज्य सरकार और ब्लाक स्तर संस्था, दोनों के लिए एक सलाहकार की भूमिका में होगा |

के० जी० वी० राव समिति

इस समिति का गठन 1985में जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में किया गया | इस समिति ने चार स्तरीय सुझाव दिए | समिति ने कहा कि राज्य स्तर पर राज्य परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद,मण्डल स्तर पर मण्डल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होनी चाहिए |

डॉ० एल० ऍम० सिन्धवी समिति

इस समिति का गठन डॉ० एल० ऍम०सिन्धवी की अध्यक्षता में 1986 में हुआ |इस समिति ने सुझाव दिया कि इस वयवस्था को संविधानिक सरंचना प्रदान की जानी चहिए |

थुंगन समिति

इस समिति का गठन 1988 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया | इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए |

इन सभी समितियों की राय यही थी कि देश में "पंचायती राज प्रणाली" को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है | देश भर में लगभग 5लाख 80हजार गावं है | बढ़ते नगरीकरण व् औद्योगिकीकरण के बावजूद देश की तीन चौथाई जनता ग्रामो में निवास करती है | इन आंकड़ों के माध्यम से सरकार ने स्वीकार किया कि निर्धनता को दूर करने तथा देश में चंहुमुखि विकास के लिए "पंचायती राज प्रणाली"को संवेधानिक मान्यता देना देश की एक आवश्यकता है |इसके फलस्वरूप 24 अप्रेल 1993 को 73वां संवेधानिक संशोधन विधेयक लागू हुआ,जो पंचायती राज प्रणाली के आधुनिक इतिहास में अविस्मरणीय है |

73वां संवेधानिक संशोधन

1990के दशक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा यह महसूस किया गया था कि स्थनीय स्वयं सरकार को बगैर संवेधानिक आधार के मजबूती प्रदान नही की जा सकती |इसके लिए केंद्र सरकार ने 1992 में 73 संवेधानिक संशोधन पारित किया |20अप्रेल को राष्ट्रपति ने सहमती प्रदान कि | 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हो गया |

24 अप्रैल 1993 भारत मे पंचायती राज के क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह था | क्योंकि की इसी दिन संबिधान (73 वां संशोधन) अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ और इस प्रकार महात्मा गाँधी के स्वराज स्वप्न को वास्तविकता मे बदलने की दिशा मे कदम बढाया गया था |73 वे संशोधन अधिनियम 1993 मे निम्नलिखित प्रावधान किये गए | इस संशोधन से संविधान के भाग 9 मे 16नए अनुच्छेद शामिल किये गए जो की अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 (ण) तक है |

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अनुच्छेद 243 इस अनुच्छेद मे जिला, ग्रामसभा, पंचायत इत्यादि की परिभाषा का वर्णन किया गया है |

अनुच्छेद 243 (a) इस अनुच्छेद मे ग्रामसभा के बारे मे वर्णन किया गया है |

अनुच्छेद 243 (b) इस अनुच्छेद मे ग्रामपंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है |

अनुच्छेद 243 (c) इस अनुच्छेद मे पंचायतों की सरंचना का वर्णन किया गया है |

अनुच्छेद 243 (d) इस अनुच्छेद मे आरक्षण से सम्वंधित वयवस्था है |

अनुच्छेद 243 (e) इस अनुच्छेद मे पंचायतों की अवधि, आदि के विषय मे वर्णन किया गया है |

अनुच्छेद 243 (f) इसअनुच्छेद मे सदस्यता के लिए निरर्हताओं का वर्णन किया गया है|

अनुच्छेद 243 (g) इस अनुच्छेद मेपंचायतों की शक्तियों,अधिकार,और उतरदायित्व का वर्णन किया गया है |

अनुच्छेद 243 (h) इस अनुच्छेद मेपंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियों(पथ कर आदि) का वर्णन किया गया है |

अनुच्छेद 243 (i) इस अनुच्छेद मे वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन के विषय मे वर्णन किया गया है

अनुच्छेद 243 (j) इस अनुच्छेद मे पंचायतों की अवधि, आदि के विषय मे वर्णन किया गया है

अनुच्छेद 243 (k) इस अनुच्छेद मे पंचायतों के लिए निर्वाचन की वयवस्था की है |

अनुच्छेद 243 (l) इस अनुच्छेद मे संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने के विषय मे वर्णन किया गया है

अनुच्छेद 243 (m) इस अनुच्छेद मे इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना वर्णन किया गया है

अनुच्छेद 243 (n) इस अनुच्छेद मे विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहने का वर्णन किया गया है

अनुच्छेद 243 (o) इस अनुच्छेद मे निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है

पंचायत की संरचना

संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की गई है | इस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन व विकास की इकाइयों को एक पहचान मिली है |त्रि - स्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम विकास की पहली इकाई मानी जाती है | गाँव के लोगो के सबसे नजदीक होने के कारण इसका अत्यधिक महत्व है | ग्राम प्रधान,उप - प्रधान, व सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है | ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चयन ग्राम सभा के सदस्य चुनाव के द्वारा करते है |अतः ग्राम सभा के सदस्यों से इसका सीधा सम्बन्ध होता है | ग्राम पंचायत ग्राम सभा के निर्देशन में ग्राम सभा के सदस्यों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करती है |

ग्राम सभा

संविधान के तहत पंचायत के केवल तीन स्तर हो सकते है | ग्राम सभा पंचायती राज ढांचे का स्तर नहीं है | इसकी कोई अधिकारिक क्षमता नहीं है,यह सुझाव देने वाले शरीर के रूप में कार्य करता है | ग्राम सभा किसी एक गाँव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल संस्था है | गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम पंचायतीराज की सफलता के केन्द्र में होती है | किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते है उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है |ग्रामसभामें 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है | ग्राम सभा की बैठक वर्ष में दो बार होनी आवश्यक हैं | इस बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस से देनी होती है | ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है | जिला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर अथवा ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान द्वारा 30 दिनों के अन्दर होगी |

ग्राम पंचायत के कार्य व शक्तियां -

प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के कार्य कलाप एवम दायित्वों की सूचि तैयार की गई है | इस सूचि के अंतर्गत पंचायतों को 29 जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गईं है | संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा 29 विषय पंचायतों के अधीन किए गए है , जिसके लिए पृथक से 73वें संविधान संशोधन में 243जी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है | इस सूचि में शामिल विषयों के अंतर्गत आर्थिक विकास,सामाजिक न्याय और विकास योजनाओं को अमल में लाने का दायित्व पचायतों का होगा | संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की कुछ जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई है | प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नाकिंत कृत्यों का सम्पादन निष्ठा पूर्वक करेगी | सूचि के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को विभागों एवं विषयों के दायित्व सोपें गए है |पंचायत के कार्य दो प्रकार के होते है|

अनिवार्य कार्य

स्वच्छता,सरक्षण और जल निकासी,सार्वजनिक उपद्रव की रोकथाम,पेयजल, गाँव की सड़कों का निर्माण और रखरखाव,

सार्वजनिक भवनों का निर्माण मरम्मत,जन्म और मरण का पंजीकरण, श्मशान और दफन के मैदानों का उद्घाटन व रखरखाव, ग्रामीण विधुतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम,वार्षिक बजट और विकास योजनाओं की तैयारी,मवेशी शेड, तालाब आदि के निर्माण और रखरखाव आदि | खेत वानिकी, इंधन और चारा,क़त्ल घर, सार्वजनिक उधान व खेल के मैदान, कृषि, कुक्कट व मत्स्य पालन आदि|

विवेकाधीनकार्य

कृषि,पशुपालन और डेयरी विकास,मांमुली सिचाई,लघु उधोग,आवास और गैर पारम्परिक उर्जा,ग्रामीण विकास कार्यक्रम,शिक्षा संस्कृति मामलों और विरासत, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि |

आय के स्रोत

एक ग्राम पंचयत का फंड राज्य के समेकित निधि के पैटर्न पर बनाया गया है ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त सभी धन जैसे- राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला परिषद द्वारा किए गए योगदान या अनुदान और कर, दरों, ऋण, जुर्माना और दंड, मुआवजे, अदालत के रूप में पंचायत द्वारा प्राप्त सभी रकम, बिक्री, आय और पंचायत सम्पत्ति आदि से आय उस फंड में जाती है | जिसे समय - समय पर गाँव के विकास में लगाया जाता है |

पंचायत समिति

पंचायत सीमिति भारत में मध्यवर्ती स्तर या स्थानीय स्वंय सरकार का तहसील स्तर है | आंध्रप्रदेश प्रदेश में इसे मण्डल प्रजा परिषद,असम में अंकलिक पंचायत,गुजरात में तालुका पंचायत, कर्नाटक में मण्डल पंचायत के नाम से जाना जाता है | बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब,और राजस्थान में इसे पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है | पंचायत सीमिति के पास नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, या अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर पूरे ब्लाक क्षेत्र पर इसका अधिकारहोता है | आमतौर पर पंचायत सीमिति के क्षेत्र पर और आबादी के आधार पर 20 से 60 गाँव होते है | समिति के तहत औसत आबादी लगभग 80000 है लेकिन यह सीमा 35000 से एक लाख तक भी हो सकती है | इस समिति का चुनाव पांच वर्षों के बाद होता है | इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव, चुने हुए सदस्य मिलकर करते है | जिनका कार्य काल अधिक से अधिक वर्षों का होता है |

कार्य एवं शक्तियाँ -

पंचायत समिति का मुख्य कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर विभिन्न पंचायतों को काम काज में सुधार के लिए सुझाव देने का कार्य करती है | सीमिति पर कृषि,भूमि सुधार और मृदा सरक्षंण,लघु सिचाई, जल प्रबन्धन और जल संसाधन,विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम,पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट, मत्स्य पालन,खादी ग्राम और कुटीर के विकास की योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है | उधोग, ग्रामीण आवास, कृषि वानिकी, लघु वन उत्पादन, इंधन और चारा, पुल घाट, प्राथमिक और माध्यमिक विध्यालयों सहित शिक्षा, तकनिकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कमजोर वर्ग के कल्याण, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए हों, की जिम्मेदारी पंचायत समिति की होती है |

आय के स्रोत -

जिला परिषद से प्राप्त स्थानीय सेस, भू-राजस्व का अंश,व अन्य धन, कर, चुंगी, अधिभार और फीस से प्राप्त आय, सार्वजनिक घाटों, मेलों, हाटों तथा ऐसे ही अन्य स्रोतों से आने वाली आय,ऐसे अनुदान या दान जो जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों, नगर पालिकाओं या न्यासों एवं संस्थाओं से प्राप्त आय, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान या अनुदान या ऋण सहित अन्य प्रकार की निधियां व अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण आदि |

जिला परिषद -

पंचायती राज की सबसे उपरी संस्था जिला परिषद है | जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का मूलतः निति निर्धारण एवं मार्ग दर्शन का काम करती है | जिला परिषद का भी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है | जिसका गठन लगभग 50 हजार की आबादी पर होता है | प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद पर एक - एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है | प्रत्येक जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक होगी | जिला परिषद की प्रथम बैठक जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में होती है |जिला परिषद के समक्ष रखे जाने वाले सभी विषयों पर निर्णय बहुमत से होता है | जिला परिषद की कार्यवाही अंकित करने और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की होती है |

RRIJM 2015, All Rights Reserved

कार्य और शक्तियाँ -

सरकार द्वारा समय - समय पर यथा विनिर्दिष्ट स्तरों के अधीन जिला परिषद निम्न कार्य का सम्पादन करती है | जैसे कृषि, सिचाई, भूतल जल संसाधन एवं जल समर विकास, बागवानी, सांख्यिकी, ग्रामीण विधुतीकरण, आवश्यक वस्तुओं का वितरण, भूमि सरंक्षण, विपणन, सामाजिकी वानिकी, पशुपालन एवं गव्य विकास, लघुवन उपज,इंधन एवं चारा, मतस्य पालन,घरेलू एवं लघु उधोग, ग्रामीण सडकें एवं अन्तर्देशीय जल मार्ग, स्वास्थ एवं आरोग्य, ग्रामीण आवास,शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गों का कल्याण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम,सामाजिक सुधार कार्य कलाप, संस्कृति एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन,खेलकूद को प्रोत्साहन एवं ग्रामीण क्रीडागनों का निर्माण,ग्रामीण हाटों व बाजारों का अधिग्रहण व अनुरक्षण, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को अनुदान प्रदान करना, पंचायत समितियों के बजट प्राकलन की जाँच एवं मंजूरी, वह सभी विषय जो भारत के संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित है|

आय के स्त्रोत-

सभी राज्यों के कानून अलग से जिला परिषद \ जिला पंचायत कोष के लिए बजट प्रदान करते है | जो राज्य की समेकित निधि की तरह है |जिला परिषद की आय के स्रोतों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशी, दान में प्राप्त राशी, पट्टे से प्राप्त राशी, पुल, घाट, मनोरंजन, मेले, हाट, आदि पर लगाए टोल, फीस, परिषद को सोंपी भूमि का राजस्व, साथ ही यू० पी०, पंजाब, मणिपुर, महाराष्ट, आदि बड़े राज्यों ने उन्हें किसी भी मामले पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया है |

उपसंहार -

पंचायती राज का सम्बन्ध ग्रामीण विकास से है | ग्रामीण विकास पर ही भारत का सम्पूर्ण विकास निर्भर है | अतः पंचायती राज की सफलता हेतु आवश्यक है कि समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान किया जाये | नीतियाँ एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाएँ व लागू किये जाएँ | साथ ही समस्याओं के प्रति हमारे राजनेता भी सचेत रहें | भारत गांवों का देश है | अतः गांवों की उन्नति एवं विकास पर ही भारत का सम्पूर्ण विकास संभव है | भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से पूर्णतया परिचित थे | इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति और उसे स्थाई बनाने हेतु ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया गया | हमारे संविधान में भी यह निर्देश दिए गए है कि राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे ग्राम पंचायतें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें |हमारी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भी इस विचारधारा पर आधारित है की शासन जनता के लिए हो तथा जनता की भी शासन के कार्यों में भागीदारी हो | भारत में यह अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है की ग्रामीण जनता की भी शासन कार्यों में अधिक से अधिक भागीदारी हो | पंचायतें हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है जिस पर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था आधारित है | भारत में पंचायती राज का आरम्भ एक एतिहासिक घटना कहा जा सकता है | पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त विष को नियन्त्रण में करने के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक सत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की जाये ताकि वर्तमान व्यवस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप को लुप्त होने से बचाया जा सके |

संदर्भ - सूचि

1. भारत में न्याय पंचायतो का कार्य : बाराणसी जिला का केस स्टडी, एल. एम. सिंघवी, यंग एशिया प्रकाशन नई दिल्ली, 1977.
2. ग्रास रुट राजनीती और पंचायती राज, शकुंतला शर्मा, दीप एंड दीप प्रकाशनं, नई दिल्ली 1994
3. ग्रामीण भारत में सरकार, इल्तिजा खान, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे 1969.
4. केरला में सामुदायिक विकास प्रशासन, के.एम. पानिकर, एस. चन्द। कंपनी प्रा। लिमिटिड, दिल्ली, 1974.
5. संशोधितशक्तियांऔरसंशोधन, पारसदीवान, पेयूसीदीवान, दीपएंडदीपप्रकाशन, नईदिल्ली, 1997.
6. पंचायतीराजमैन्युअलएकसामाजिकऐतिहासिकसहकानूनीपरीपेक्ष्य, अनमोलप्रकाशनप्राइवेट लिमिटेड, 1996.
7. पंजाबपंचायतीराजअधिनियमपरएकटिप्पणी, गुरदयालसिंहजैसवाल, भगतसिंहचावला, प्रकाशनप्राइवेटलिमिटेड, 1994 - 1998.
8. कुरुक्षेत्रग्रामीणविकासपरएकजर्नल, ग्रामीणविकासमंत्रालय, नईदिल्ली, वॉल्यूम 62 संख्या 3, जनवरी 2014.
9. पंचायतीराजकेलिएरोडमैप 2011-2016 :अखिलभारतीयपरिपेक्ष्य, पंचायतीराजमंत्रालयनई दिल्ली, 2011.
10. भारतकासंविधान, भाग IX, 73 वांसंवैधानिकसंशोधनअधिनियम 1992, अनुच्छेद 243 जी.
11. भारतमेंपंचायतीराजएकप्रणाली: एकविश्लेषण, 19 ईबीड, अनुछेद 243 के.

RRIJM 2015, All Rights Reserved